विभिन्न विभागों में गठित सोसाईटी के विभिन्न स्तरों पर वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन हेतु शक्ति प्रत्यायोजन समिति की अनुशंसा

राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों के अन्तर्गत गठित सोसाईटी के विभिन्न स्तरों पर वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजित करने में एकरूपता लाने हेतु एक आदर्श मानक नीति तैयार करने के उद्देश्य से विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शक्ति प्रत्यायोजन समिति का गठन निम्न प्रकार से किया गयाः-

1.	श्री राहुल सिंह, प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रोन	अध्यक्ष
2.	श्री जयन्त कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग	सदस्य सचिव
3.	श्री अनिल कुमार, अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य

शक्ति प्रत्यायोजन समिति के द्वारा सर्वप्रथम राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सोसाईटी निबंधन अधिनियम, 1860 के अधीन गठित समितियों को सूचीबद्ध किया गया जो निम्नवत है-

1. बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना
2. बिहार आपदा पुर्नवास एवं पुर्ननिर्माण सोसाईटी, पटना
3. बिहार राज्य कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग, पटना
4. बिहार फाउन्डेशन, पटना
5. बिहार राज्य महादलित विकास मिशन, पटना
6. बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), पटना
7. बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना
8. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना
9. बिहार शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास विभाग, पटना
10. बिहार वाटरशेड डेवलपमेंट सोसाईटी, कृषि विभाग, पटना
11. स्टेट सोसाईटी फॉर अल्ट्रा पूअर एंड सोशल वेलफेयर(सक्षम),पटना
12. बिहार बागवानी विकास सोसाईटी(बिहार स्टेट हार्टिकल्चर मिशन),पटना

उपरोक्त वर्णित सभी 12 सोसाईटी के संबंधित पदाधिकारियों को वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन में एकरूपता लाने के उद्देश्य से विचार-विमर्श हेतु शक्ति प्रत्यायोजन समिति की बैठक दिनांक- 28.11.2014 को आयोजित की गयी जिसमें बिहार फाउंडेशन, बिहार आपदा पुर्नवास एवं पुर्ननिर्माण सोसाईटी, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं बिहार बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के पदाधिकारियों ने भाग लिया । पुनः शक्ति प्रत्यायोजन

समिति की दूसरी बैठक दिनांक- 10.12.2014 को आयोजित किया गया जिसमें बिहार बागवानी विकास सोसाईटी (बिहार स्टेट हार्टिकल्चर मिशन), बिहार राज्य कौशल विकास मिशन, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार शहरी विकास अभिकरण एवं बिहार वाटरशेड डेवलपमेंट सोसाईटी के पदाधिकारियों ने भाग लिया ।

वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन में एकरूपता लाने के उद्वेश्य से समिति के द्वारा एक विहित प्रपत्र तैयार कर जिसमें संबंधित सोसाईटी के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों का पदनाम जिन्हें वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन किया गया है, उनका वेतनमान/नियत वेतन, उनकी नियुक्ति की प्रकृति यथा नियमित/अथवा संविदा आधारित, वित्तीय शक्ति की सीमा तथा इसमें परिवर्त्तन की आवश्यकता एवं औचित्य के संबंध में उपरोक्त वर्णित सभी सूचीबद्व सोसाईटियों से प्रतिवेदन की मांग की गई जिसके आलोक में बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना, बिहार आपदा पुर्नवास एवं पुर्ननिर्माण सोसाईटी, पटना, बिहार राज्य कौशल विकास मिशन, बिहार, फाउन्डेशन, पटना, बिहार राज्य महादलित विकास मिशन, पटना, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), पटना, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना, बिहार शहरी विकास अभिकरण, पटना, बिहार वाटरशेड डेवलपमेंट सोसाईटी, पटना, स्टेट सोसाईटी फॉर अल्ट्रा पूअर एंड सोशल वेलफेयर (सक्षम), पटना, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना एवं बिहार बागवानी विकास सोसाईटी, पटना से विहित प्रपत्र में विभिन्न स्तरों पर किये गये वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ।

वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन संबंधी प्रतिवेदनों की समीक्षा संबंधित सोसाईटियों के उपस्थित पदाधिकारियों के साथ की गई । समीक्षा से यह तथ्य सामने आया कि विभिन्न सोसाईटियों के द्वारा अपनी आवश्यकता, कार्य की प्रकृति, वित्तीय प्रबंधन एवं Operational Flexibility, निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करने की बाध्यता, Fund Flow/Fund Release/Procurement आदि मामलों के त्वरित निस्तार के दृष्टिकोण से अपने-अपने Byelaws/Rules/Regulations में निहित प्रावधानों एवं वार्षिक कार्य योजना के Framework के अंतर्गत वित्तीय शक्तियों का प्रत्योजन किया गया है, जो उपयुक्त एवं औचित्यपूर्ण है । विभिन्न सोसाईटियों के द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं का Project Cost (परियोजना लागत) भिन्न है, इसलिए इन सभी सोसाईटियों को वित्तीय शक्तियों के प्रत्योजन के दृष्टिकोण से Standardise अथवा Equate करना औचित्यपूर्ण नही होगा । साथ ही सभी सोसाईटियों के वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में उनके Byelaws/Rules/Regulations में भी सुसंगत प्रावधान पूर्व से विहित किये गये है जिनमें एकरूपता लाने के उद्वेश्य से संशोधन में भी कठिनाई होगी क्योंकि इन सभी परियोजनाओं का Mandate अलग-अलग है । बैठक में उपस्थित अपर परियोजना निदेशक, ने बताया कि बिहार आपदा पुर्नवास एवं पुनर्निमाण सोसाईटी को वर्ष 2008 में कोसी प्रमंडल में आई भीषण बाढ़ के कारण उक्त क्षेत्र के

पुर्नवास एवं पुर्ननिर्माण हेतु विश्व बैंक से सहायता राशि प्राप्त हुई है । उक्त सहायता राशि से Housing Reconstruction, Road & Bridges, Strengthing of Flood Management Capacity, Livelihood Support and Enhancement, Contingency and Project Management and Implementation Assistance Components में राशि कर्णांकित कर विश्व बैंक से राशि प्राप्त होती है । उक्त Sectoral/Component कर्णांकण के आधार पर संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/विभाग के द्वारा डी0पी0आर0 तैयार कर सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति हेतु बिहार आपदा पुर्नवास एवं पुनर्निमाण सोसाईटी को उपलब्ध कराया जाता है । तदुपरांत 25.00 करोड रूपये तक परियोजना निदेशक, 25.00 करोड़ रूपये से अधिक तथा 50.00 करोड़ रूपये तक विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष, बिहार आपदा पुर्नवास एवं पुनर्निमाण सोसाईटी, एवं 50.00 करोड़ रूपये से अधिक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति कार्यकारिणी समिति जो विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित है, के द्वारा दी जाती है ।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के द्वारा विगत वर्षों में भारत सरकार/वाह्य वित्तीय एजेन्सियाँ/डी0एफ0आई0डी0/विश्व बैंक से प्राप्त राशि से विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सोसाईटी रजिस्ट्रेशन, एक्ट, 1860 के तहत विभिन्न सोसाईटियाँ का गठन कर करा रही है । इस प्रकार से गठित सोसाईटियाँ विभिन्न विभागों के अधीन रहते हुए एक Autonomous Body (स्वायत संस्था) की तरह कार्य करती है जहाँ इन्हें वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की गयी है ताकि वे इन परियोजनाओं का कार्य एक निर्धारित समय-सीमा के अंदर बिना किसी बाधा अथवा Interference के पूर्ण कर सके तथा इन्हें किसी भी निर्णय/अधिकार/आदेश हेतु बार-बार विभाग अथवा सरकार के पास न जाना पड़े । इस प्रयोजन हेतु इन सोसाईटियों के द्वारा वार्षिक कार्यकारी योजना (Annual Action Plan) तैयार कर Executive Committee/Governing Body/ Board के अनुमोदनोपरांत भारत सरकार/Funding Agency को भेजा जाता है एवं अनुमोदनोपरांत तद्नुसार इसका कार्यान्वयन इन सोसाईटियों के द्वारा किया जाता है । कई मामलों में भारत सरकार/Funding Agency जिनके द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है, के द्वारा भी कई Financial Norms एवं Procurement Rules निर्धारित किये जाते है जिसका पालन करना इन सोसाईटियों के लिए वित्तीय पोषण प्राप्त करने के संदर्भ में बाध्यकारी है ।

अतः विभिन्न सोसाईटियों के अंतर्गत वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में गहन विचार विमर्श के उपरांत वित्तीय प्रत्यायोजन समिति निम्नांकित अनुशंसा करती हैः-

1. सोसाईटी के अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना पर भारत सरकार/Funding Agency के अनुमोदन के आलोक में संबंधित सोसाईटी के Byelaws/Rules/Regulations में निहित प्रावधानों के अनुरूप सभी वित्तीय निर्णय

उक्त सोसाईटी के प्रमुख यथा परियोजना निदेशक/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के स्तर तक ही निष्पादित किये जायें ।

2. कतिपय सोसाईटी यथा बिहार आपदा पुर्नवास एवं पुर्ननिर्माण सोसाईटी के मामले में जहाँ वार्षिक कार्य योजना के संदर्भ में Sectoral Allocation पर Funding Agency का अनुमोदन प्राप्त है, के आलोक में Sectorwise/Componentwise योजना विशेष के वास्तविक प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत पुनः Executive Committee का अनुमोदन वर्तमान प्रावधानानुसार प्राप्त करने की आवश्यकता होगी ।

(जयन्त कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव,वित्त विभाग समिति

(अनिल कुमार)
अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, -सह-सदस्य, वित्तीय प्रत्यायोजन समिति

(राहुल सिंह)
प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रोन-सह-सदस्य, वित्तीय प्रत्यायोजन समिति -सह-अध्यक्ष, वित्तीय प्रत्यायोजन समिति